

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागीर)
वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

सुजानाराम कर्जे

सुजानाराम कर्जे
मुकदमा नं.-193/2017

प्रकरण : राजस्व वाद

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इतिशियलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये।
23.6.17	<p>यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध अधीन धारा 53,88,188 राजस्थान कास्ताकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जाये। पत्रावली दिनांक 26.07.2017 को पेश हो।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
13-9-17	<p>पीठासीन अधिकारी की मिति में/प्रमाण अवकाश पर गभ हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 6-11-17को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
6-11-17	<p>पीठासीन अधिकारी की मिति में/प्रमाण अवकाश पर गभ हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 30-1-18.....को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
3-01-18	<p>पीठासीन अधिकारी की मिति में/प्रमाण अवकाश पर गभ हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 16-4-18.....को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
26.9.18	<p>पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर -2018 पूर्ण होने पर पेश हुई। वकील वादीगण को नोटिस तलबाना हेतु निर्धारित समय से अधिक समय दिया जा चुका है। उसके उपरान्त वकील वादी ने नोटिस तलबाना पेश नहीं किया। न्यायस्थ में नोटिस तलबाना हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते नोटिस तलबाना दे।</p>	

26.09.18 18.01.19 को पेश हो।



18.01.19 पत्रावली पेश हुई। वक्रुत्माय उप.। वकील वादी ने प्रतिवादीगण के सम्मन तलबना पेश किया जोटिस जारी किये गये। आगाभी पेश किया रसीद पेश करें। पत्रावली तलबी के इन्तजार में दि. 17.5.19 को पेश करें।

17.5.19

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक. 16.5.19 को प्रस्तुत करें।

म. व. नू

26.6.19

पत्रावली रेकॉर्ड पर लेने हेतु आज दिनांक 26.6.19 को वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र पेश किया। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली को आज दिनांक को रेकॉर्ड पर। किमा जमाना वादी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण वाड को नहीं चबाना चाहते हैं वाड को जरिमे विद्रोह खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किमा जमाना प्रतिवादी जमाना तलबी नहीं हो सकी है न ही प्रतिक्रिया की ओर की काउण्टर क्लेफ प्रेष्य हैं इवकेशन काड को विद्रोह करने में कोई कातूनी कडचन नहीं है अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किमा जाकर वादी का वाड-पत्र जरिमे विद्रोह खारिज किया जावे। पत्रावली गणवर से कद देखकर साखल पप्पर हो।

26/6/19

सहायक कलक्टर (एस. हा. भा.) रायव (नागोश)

विवादीगण :-

विवादीगण :-

1. सुगन
 2. किरा
 3. पेमार
 4. हाबूर
 5. छोदूर
 6. जवान
 7. भागु
 8. धनार
- जिल

तिवादीगण

1. प्रेमा
 2. रामु
 3. मदन
 4. कि
 5. तह
- राजु
रामे
नाम
श्रीम

1. यह
- प्रति
- शिव